



158

अनमान

~~श्रीमती मंगला देवी पति राजकुमार की राणी (विधवा)~~

~~निवासी - बेगूसै जिले~~ प्रार्थी / प्रार्थीगण

~~पति राजकुमार का~~

~~निवासी - राणी लखे~~ विपक्षी / विपक्षीगण

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी कल्ले

न्यायालय में अधिवक्ता श्री K.C. मजूमदार के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हनारें सन्ध प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जॉय दर्ज किया जाकर प्रकरण में जॉय किये जाने पर पाया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण यमित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी को कृषि आराजी नौजा शुलाना पटवार हल्का गोविंदपुरा की आराजी संख्या 794/107 कुल कीता-01 कुल रकबा 0.8090 है

कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हनारें द्वारा किये जाने पर प्रार्थीनामा का

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी नौजा शुलाना पटवार हल्का गोविंदपुरा की आराजी संख्या 794/107 कुल कीता-01

कुल रकबा 0.8090 है भूमि की पत्थरगढी हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण की उपस्थिति में प्रार्थीनामा से पत्थरगढी सुल्क की राशि 1500/- प्राप्त करते हुए नौके की पत्थरगढी की जावे।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र कीता-1

उपस्थान्ड अधिकारी, बेगूसै जिला चित्तौड़गढ़ (पिपरा)

क्रमांक / सरिफता / 2025 / 289

प्रार्थना पत्र संख्या 63/25 व अनमान मंगला पति राजकुमार प्रार्थना पत्र अर्थात् धारा 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको बाबत पालनार्थ दी जाती है।

दिनांक :- 14/5/25

उपस्थान्ड अधिकारी, बेगूसै जिला चित्तौड़गढ़ (पिपरा)